



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ  
प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02-09-2022

दिनांक 01/02-09-2022 को रात्रि को वांछित में थाना आलमबाग 01, चौक 01, गोमतीनगर 01, गुडम्बा 02, हुसैनगंज 01, महानगर 01, पी0जी0आई0 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

#### डी0सी0पी0 पश्चिमी

**अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।**

**थाना ठाकुरगंज**—दिनांक 01.09.2022 को एस0आई0 श्री राकेश कुमार चौरसिया थाना ठाकुरगंज द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01—सुमित वर्मा पुत्र धीरेन्द्र वर्मा निवासी आदर्शनगर मल्लाहपुर रिंग रोड थाना ठाकुरगंज लखनऊ को मेंहदीघाट स्थित पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध तरीके से बिक्री करते हुए से 20 अदद शीशी 200 एमएल विंडीज अवैध देशी अवैध शराब व बिक्री के नगद 210/—रुपये बरामद कर थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**थाना ठाकुरगंज**—दिनांक 01.09.2022 को एस0आई0 श्री आलोक पाण्डेय थाना ठाकुरगंज द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01—चौद बाबू पुत्र कल्लू निवासी दौलतगंज काशी विहार खंती गरुघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ को मेंहदीघाट स्थित पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध तरीके से बिक्री करते हुए 17 अदद शीशी विंडीज 200 एमएल अवैध देशी शराब व बिक्री के नगद 130/—रुपये बरामद कर थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**थाना चौक**—दिनांक 01-09-2022 को एस0आई0 श्री संजय कुमार द्वारा मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01—शनाम शंकर जायसवाल पुत्र बृज किशोर जायसवाल निवासी-368/05 लकड़ मण्डी सआदतगंज लखनऊ को फूल मण्डी रोड पर ट्रांसफार्मर के पास थाना चौक से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध तरीके से बिक्री करते 15 अदद पौवा अवैध देशी शराब बरामद कर थाना चौक पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

#### डी0सी0पी0 मध्य

**अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।**

**थाना बन्धरा**—दिनांक 01.09.2022 को एस0आई0 श्री शैलेन्द्र सिंह सेंगर थाना बन्धरा द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01—छोटू पुत्र बहादुर नि0 ग्राम मेमौरा थाना बन्धरा लखनऊ 02—दीपक पुत्र बहादुर नि0 ग्राम मेमौरा थाना बन्धरा लखनऊ को ग्राम मेमौरा की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से क्रमशः 10 ली0 व 20 ली0 (कुल 30 ली0) अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना बन्धरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

## डी0सी0पी0 उत्तरी

**थाना गाजीपुर**—दिनांक 01.09.2022 को एस0आई0 श्री शिवाकान्त तिवारी थाना गाजीपुर द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गसत अभियुक्त 01—राम नरेश कनौजिया पुत्र लल्लू निवासी—जी 72 संजय गाँधीपुरम थाना गाजीपुरम, लखनऊ को शक्तिनगर ढाल गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

## भा0द0वि0

### एक्सीडेंट।

**थाना ठाकुरगंज**—दिनांक 02.09.2022 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री नियाज अहमद पुत्र छोटे बक्श निवासी—रहमानपुर थाना विशारतगंज जनपद बरेली ने सूचना दिया कि वादी अपनी नई गाड़ी टी0वी0एस0 मोपेड से रायबरेली से अपने गाँव जा रहा था, कि कानपुर बाईपास फरीदीपुर के पास एक गैस सिलेण्डर भरे ट्रक नं0 यूपी 32 जीएन 5400 के चालक द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी की उक्त वाहन में टक्कर मार दिया गया, जिससे वादी बुरी तरह से घायल हो गया है व वादी की गाड़ी भी बुरी तरह से टूट-फूट गयी है। **इस सूचना थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0 471/2022 धारा 279/337/338/ 427 का अभियोग पंजीकृत किया गया,** जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री परवेज अंसारी थाना ठाकुरगंज द्वारा की जा रही है।

### शव मिला।

**थाना चौक**—दिनांक 02.09.2022 को थाना चौक द्वारा बताया गया कि श्री रेहान पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी कसाईबाड़ा मोहिबुल्लापुर थाना मड़ियॉव लखनऊ ने थाना चौक पर सूचना दिया कि दिनांक 02.09.2022 को समय करीब 09.00 बजे सुबह सूचना मिली कि उसके मामा सिराज अहमद पुत्र सज्जाद अहमद निवासी दाऊदनगर फैजुल्लागंज सीतापुर रोड थाना मड़ियॉव लखनऊ उम्र करीब 52 वर्ष जो भीख मांगते थे, जिनकी बड़ा इमामबाड़ा के सामने मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री जितेन्द्र दीक्षित मो0नं0 7939861051 थाना चौक द्वारा की जा रही है।** प्रभारी निरीक्षक चौक द्वारा बताया गया कि मृतक बड़ा इमामबाड़ा के आस-पास भीख मांगता था।

### घर में चोरी।

**थाना चिनहट**—दिनांक 02.09.2022 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री मृगेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 अनिल कुमार गुप्ता निवासी—वसुन्धरा कालोनी नौबस्ता कला रोड थाना चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 29.08.2022 को वादी अपने पिताजी के घर गया हुआ था। दिनांक 01.09.2022 को जब वादी अपने उपरोक्त मकान पर वापस लौट कर आया तो देखा कि वादी के मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी के जेवरात व 18,000/-रुपये नकदी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। **इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 688/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया,** जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री विजयशंकर सिंह द्वारा की जा रही है।

